

प्रेषक,

कमिश्नर, वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(संग्रह अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 16, दिसम्बर, 2019

विषय:- बकाया योजना लागू किये जाने हेतु प्रेषित प्रस्ताव/सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

बकाये के संदर्भ में योजना लागू किये जाने के प्रस्ताव पर सम्यक विचार किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर निम्न बिन्दुओं की सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है:-

प्रारूप


जोन का नाम:-

(धनराशि लाख रु० में)

क्रमांक	दिनांक 31.03.2016 तक सृजित मांग का विवरण	बकाया के मामले		बकाया जमा न करने के कारण आरोपित अर्थदण्ड		माफी योग्य ब्याज धनराशि
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	
1	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अंतर्गत					
2	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 के अंतर्गत					
3	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित अधिनियम, 2008 के अंतर्गत					

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त योजना लागू किये जाने हेतु उपरोक्त प्रारूप में विहित बिन्दुओं की प्रामाणिक सूचना अपने अधीनस्थ कर निर्धारण अधिकारियों से प्राप्त कर जोन की संकलित सूचना मुख्यालय के संग्रह अनुभाग को विलम्बतम दिनांक 18.12.2019 तक प्रत्येक दशा में एक्सेल फार्मेट में ई-मेल आईडी-sangrahanubhag@gmail.com/विशेष वाहक से उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि यथाशीघ्र अपेक्षित सूचना शासन को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,



(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ।